

फर्द अहकाम

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी मावली, जिला उदयपुर

प्रार्थी : श्री भेरूलाल

किस्म मुकदमा -88,188 भूरा. अधिनियम

विपक्षी : श्री नंगा उर्फ नगजीराम

पत्रावली संख्या : 214 / 18

जीसीएमएस : 2018 / 00425

क्रमांक	कार्यवाही विवरण	हस्ताक्षर पाटी तथा सूचनाएं जारी की गईं
	<p>दिनांक : 29.01.2025</p> <p>पत्रावली अधिवक्ता श्री नरेश डांगी द्वारा वादी की ओर से वकालतनामा एवं प्रार्थना पत्र तलबी मय वाद विद्दो का पेश करने पर तलब की गई। अधिवक्ता वादी व स्वयं वादी उपस्थित। वकालतनामा व प्रार्थना पत्र तलबी मय विद्दो शामिल फाईल रहे।</p> <p>पत्रावली का अवलोकन किया गया। अधिवक्ता वादी मय स्वयं वादी द्वारा उपस्थित होकर प्रार्थना पत्र तलबी मय विद्दो का पेश कर नया दावा लाने के अधिकार को सुरक्षित रखते हुए वाद को इसी स्तर पर विद्दो किये जाने का निवेदन किया। अधिवक्ता वादी मय स्वयं वादी को प्रार्थना पत्र वाद विद्दो पर सुना गया तथा प्रार्थना पत्र वाद विद्दो को पढकर अधिवक्ता वादी व स्वयं वादी को सुनाया गया। जिसे सुन समझकर सही होना स्वीकार किया।</p> <p>चूंकि अधिवक्ता वादी मय स्वयं वादी अब इस वाद में कोई कार्यवाही नहीं चाहते हैं तथा वाद को इसी स्तर पर विद्दो कर खारिज करवाना चाहते हैं। ऐसे में वाद को आगे चलाये जाने का कोई औचित्य नहीं है। अतः अधिवक्ता वादी मय वादी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र वाद विद्दो का स्वीकार किया जाकर नया दावा लाने के अधिकार को सुरक्षित रखते हुए वादी का वाद इसी स्तर पर विद्दो फरमाया जाकर खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हों।</p> <p>निर्णय खुले न्यायालय सुनाया गया।</p> <p style="text-align: center;">(रमेश सीरवी पुनाडिया R.A.S.) उपखण्ड अधिकारी मावली</p>	

